उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्याःपीआरपीबी–दो–1–मृ0आ0(03) / 2018 दिनांकः अप्रैल 19 ,2018

1– सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:2030 / 6–पु0–1–15–213 / 2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015, शासनादेश संख्याः 47 / 6–पु0–10–2018–1200(14) / 2017, दिनांकित 22–01–2018 तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 18 / ए–1(124)–2013 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस वेतनमान–पे बैण्ड–9300–34800 ग्रेड पे–4200 के कुल 454 पदों पर पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 454 पुरूष / महिला अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने हेतु उनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 07–05–18 को 35वीं, वाहिनी पी0ए0सी0, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।

2– शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाइट http:// uppbpb.gov.in पर दिनांक 27–04–2018 से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।

3– शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सभी पुरुष / महिला को उत्तर प्रदेश उप–निरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 (यथासंशोधित) में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 20 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी।जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे,वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

4– शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों । शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित अथवा परीक्षा में भाग लेकर परीक्षा में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं किया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिये अपील नहीं की जा सकेगी, परन्तु दैवीय / अपरिहार्य कारणों (वर्षा अथवा तकनीकी कठिनाई) से उस तिथि पर परीक्षा पूर्णतः अथवा आंशिक बाधित होने की दशा में बोर्ड द्वारा किसी अन्य तिथि पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है।शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा ली जायेगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, चिकित्सक एवं पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगें ।

5– शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी।चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी ।

19.4.18

अपर सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।